उपत्र-11

2.1

परियोजना का नाम:– **जनपद बागेश्वर में जखेड़ा बैन्ड से जूनियर हाईस्कूल तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण ।**

प्रतिवेदन

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 666/ 2015 के अन्तर्गत राज्य योजना में शासनादेश संख्या 4417/ 111(2)/ 15–04(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 27.05.2015 द्वारा जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र, बागेश्वर के गरूड़ ब्लौक के जखेड़ा बैन्ड से जूनियर हाईस्कूल तक लिंक मोटर मार्ग 2.50 कि.मी. लम्बाई हेतु रू0 17.80 लाख की (प्रथम चरण यथा सर्वेक्षण, वनभूमि की स्वीकृति आदि कार्यो हेतु) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

विधान सभा बागेश्वर का लगभग 5 कि0मी0 में फैला जखेड़ा क्षेत्र दूरस्थ मे होने से यातायात की दृष्टि से काफी पिछड़ा है। वन क्षेत्र के मध्य में स्थित ग्राम जखेड़ा के तोक बिजोरिया, खांकरी एवं दुदिला कुल जनसंख्या (703) अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े हैं। वन क्षेत्र के निकट का ग्राम होने एवं यातायात की सुविधा के अभाव में स्थानीय जनता अपने दैनिक उपयोग के लिए वनों पर आश्रित रहती है जिस कारण प्रतिवर्ष काफी संख्या में वृक्षों का पातन होता हैं। ग्राम जखेड़ा के तोक दुदिला में इस क्षेत्र का एकमात्र जूनियर हाईस्कूल है। आने जाने की कठिनाई के कारण कोई भी अध्यापक योगदान नहीं करना चाहते जिससे प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। उक्त जूनियर हाईस्कूल को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु यह लिंक मोटर मार्ग स्वीकृत हुआ है। इस क्षेत्र का शिक्षा एवं व्यापार का मुख्य केन्द्र बज्यूला है। यातायात की सुविधा न होने से ग्रामीण जनता को शासन द्वारा प्रदत्त 108 चिकित्सा वाहन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दूरस्थ क्षेत्र में स्थित होने के कारण इन गांवों में कोई भी अधिकारी/ कर्मचारी अपनी सेवायें नहीं देना चाहते जिससे क्षेत्र में मुख्य रूप से चिकित्सा एवं शिक्षा क्षेत्र में स्थिति बहुत खराब है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर न होने से युवाओं का शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से ग्रामीण जनता को यातायात की सुविधा के साथ ही अधिकारी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवायें देंगे जिससे चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित सुधार होगा। ग्रामीणों को गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे वृक्षों का अवैध पातन रूकेगा। ग्रामीण मोटर मार्ग होने एवं कम से कम वन भूमि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए 7 मीटर चौड़ाई में ही भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित किया गया है जिसमें अवशेष मलवा निस्तारण हेतु अतिरिक्त भूमि का प्राविधान जोड़ा गया है। यह क्षेत्र चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चीड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते है। मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त 5 वर्ष के अन्दर स्वतः ही उगने की वजह से काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी।

इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही 1:50000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

संरेखण नं0 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण जखेड़ज्ञ बैड से प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसार सम्पूर्ण लम्बाई में सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि एवं बीच बीच में नाप भूमि आती है। इस संरेखण से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। बैन्ड कम आते हैं एवं वृक्ष कम प्रभावित होते हैं। मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण प्रथम संरेखण के अनुसार ही रखा गया है जिसमें अधिक वृक्ष प्रभावित होते हैं। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में मानको के अनुसार ग्रेड न मिलने, संरदेखण में मकान आने से भूवैज्ञानिक द्वारा इसे निरस्त किया गया हैं।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं. 1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 2.50 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 1.152 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 41 वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रेषित् किया जा रहा है। भविष्य में इस मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर